मुंबई पोर्ट ट्रस्ट

प्रथम और द्वितीय श्रेणी कर्मचारी

हिन्दी परीक्षा

विनियम 1977

विनियम	विषय	पृष्ठ
1.	संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ	
2.	विस्तार	
3.	परिभाषा	
4.	हिन्दी परीक्षा उत्तीर्ण करना	
5.	परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफलता	
6.	हिन्दी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अवधि बढाना	
7.	हिन्दी परीक्षाओंका आयोजन	
8.	परीक्षा देने के लिए आवेदन पत्र	
9.	हिन्दी प्रशिक्षण देना	
10.	हिन्दी परीक्षा की फीस	
11.	हिन्दी परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम	
12.	हिन्दी परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि	
13.	छूट देने के अधिकार	

महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 28 के साथ पढी जानेवाली धारा 126 द्वारा दिये गये अधिकारों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा निम्न प्रथम विनियम करती है ।

1. **संक्षिप्त नाम और शीर्षक** : ये विनियम मुंबई पोर्ट ट्रस्ट प्रथम और द्वितीय श्रेणी कर्मचारी (हिन्दी परीक्षा) विनियम 1977 कहलाये जायेंगे ।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे.

2. **विस्तार** :- ये विनियम निम्नपर लागू होंगे.

(i) ये विनियम लागू हो जाने के बाद मंडल के अधीन प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदपर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मचारी.

(ii) इन विनियमों के आरंभ होने के पहले मंडल के अधीन प्रथम और द्वितीय पदोंपर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त वे कर्मचारी जिनके मामले में उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की शर्तों में यह बताया गया है कि ऐसे पदपर उनकी स्थायी नियुक्ति उनके हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त करनेपर निर्भर होगी ।

---

1. नौवहन और परिवहन मंत्रालय की दिनांक 22.02.1977 की अधिसूचना क्रमांक एफ.नं . पीइबी-5/75, दिनांक 19.03.1977 (जीएसआर क्र. 386) के भारतीय राजपत्र के दूसरे खंड में धारा 3, उपधारा (i) में प्रकाशित हुई थी ।

2. दिनांक 19.03.1977 से लागू.

---

3. **परिभाषाएँ** :- इन विनियमों में जबतक अन्यथा आवश्यक न हो.

(क) "मंडल", "अध्यक्ष", "उपाध्यक्ष" तथा "विभाग प्रमुख" से (पदों के) क्रमश: वही अर्थ अभिप्रेत होंगे, जो उन्हें महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) द्वारा दिये गये हैं.

(ख) "प्रथम श्रेणी पद" और "द्वितीय श्रेणी पद" के क्रमश: वही अर्थ होंगे जो उन्हें मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (वर्गीकरण , नियंत्रण और अपील) विनियम, 1976, में दिये गये हैं.

(ग) "हिन्दी शिक्षण योजना अर्थात भारत सरकार के राजभाषा विभाग की हिन्दी शिक्षण योजना.

4. **हिन्दी परिक्षा उत्तीर्ण करना** :जिसे ये विनियम लागू होते हैं, ऐसा हर कर्मचारी हिंदी शिक्षण योजना (इसे अब उक्त हिंदी परीक्षा कहा जाएगा) के अंतर्गत हिंदी की 'प्राज्ञ' परीक्षा श्रेणी I अथवा श्रेणी II के पदपर उसकी नियुक्ति होने की तिथी से दो वर्षों में, अथवा यदि वह इस श्रेणी के पदपर इन विनियमों के प्रारंभ से पहले नियुक्त हुआ हो, तो विनियमों के प्रारंभ की तिथि से दो वर्षोंमें उत्तीर्ण करेगा.

इसमें यह प्रावधान है, कि यदि (i) उसकी मातृभाषा हिन्दी है, या (ii) उसने एस्. एस्. सी., उसके समकक्ष अथवा उससे उच्च स्तर की किसी परीक्षा में एक विषय के रुपमें हिन्दी पढी है, अथवा (iii) उसने भारत सरकार ने जिस परीक्षा का स्तर एस्. एस्. सी. या उससे उच्च माना है, ऐसी ऐच्छीक हिन्दी संगठन द्वारा आयोजित हिन्दी की कोई परीक्षा उत्तीर्ण

5. **हिन्दी परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफलता** : जो कर्मचारी विनियम 4 की आवश्यकता के अनुसार, अथवा विनियम 6 के अंतर्गत विस्तारित अवधि में हिन्दी परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहेगा ; उसकी अपने पदपर नियुक्ति तबतक स्थायी नहीं होगी, जबतक वह हिन्दी परीक्षा उत्तीर्ण न करें/अथवा अध्यक्ष उसे उक्त हिन्दी परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता में विनियम 13 के अंतर्गत छूट न दें.

6. **हिन्दी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अवधि विस्तार** : बीमारी, उसके नियंत्रण से बाहर होनेवाले किसी कारण अथवा अध्यक्षजी द्वारा पर्याप्त माने गये किसी कारण से यदि कर्मचारी विनियम 4 की आवश्यकता के अनुसार उक्त हिन्दी परीक्षा उत्तीर्ण न कर पाये तो अध्यक्ष हिन्दी परीक्षा उत्तीर्ण करने की निर्धारित अवधि अधिक से अधिक एक वर्ष से बढ़ा सकते है. यदि कर्मचारी इस प्रकार विस्तारीत अवधि में हिन्दी परीक्षा उत्तीर्ण करता है, तो उसकी स्थायी नियुक्ति की दृष्टी से यही माना जाएगा कि हिन्दी परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता उसने अपेक्षित तिथि पर ही पूरी की है.

7. **हिन्दी परीक्षा का आयोजन:**

(1) हिन्दी परीक्षा हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत शिक्षण निदेशालय (परीक्षा शाखा) , दिल्ली प्रशासन द्वारा उक्त निदेशालय से समय समय पर बतायी गयी पद्धति से ली जाएगी ।

(2) हिन्दी परीक्षा की तिथि और स्थान उक्त निदेशालय द्वारा निश्चित किये जाएंगे, और मंडल के कर्मचारियों को सूचना दी जाएगी ।

8. **परीक्षा में प्रवेश के आवेदनः**

(1) मंडल का जो कर्मचारी हिन्दी की परीक्षा देना चाहता हो, वह परीक्षा में प्रवेश का आवेदन शिक्षा निदेशालय (परीक्षा शाखा), दिल्ली प्रशासन के पास उस निदेशालय द्वारा निर्धारित तिथि तक भेजेगा ।

(2) उक्त निर्धारित तिथि के बाद निदेशालय को प्राप्त हुए आवेदन अस्वीकार हो सकते हैं ।

9. **हिन्दी प्रशिक्षण** : मंडल का कर्मचारी अपनी इच्छा से हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत मुंबई में चलायी जानेवाली प्राज्ञ परीक्षा की कक्षाओं में उपस्थित रह सकता है, अथवा भारत सरकार के शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा चलाया जानेवाला प्राज्ञ (पत्राचार पाठ्यक्रम) कर सकता है, -और इस मामले में i) शिक्षा फीस-यदि हो, तो वह ii) उक्त कर्मचारी द्वारा दी गयी शिक्षा फीस-यदि हो तो वह और iii) आवश्यक पाठ्य पुस्तकों की कीमत की प्रतिपूर्ति उसे उसके विभाग प्रमुख द्वारा की जाएगी ।

10. **परीक्षा फीस** : उक्त हिन्दी परीक्षा की फीस- यदि हो तो- मंडल द्वारा अदा की जाएगी ।

11. **हिन्दी परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम** : हिन्दी परीक्षा के पेपर, पाठ्यक्रम तथा परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम गुण (मार्कस्) आदि वे ही होंगे, जो हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत समय समय पर निर्धारित किये जायेंगे.

12. **हिन्दी परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथिः** जिस तिथि पर कर्मचारी को परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया जायेगा, उस तिथि के दूसरे दिन की तिथि कर्मचारी की हिन्दी परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि मानी जायेगी ।

13. **छूट देने का अधिकार** : किसी कर्मचारी अथवा कर्मचारी वर्ग के काम का स्वरुप हिन्दी परीक्षा में उसकी प्रवीणता आदि बातोंपर विचार करने के बाद यदि अध्यक्ष उचित समझें, तो वे किसी कर्मचारी या कर्मचारी वर्ग को हिन्दी परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता से छूट दे सकते हैं ।

---

var